

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1078 / 2025

दिनांक : 19.03.2025

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ जयपुर के आदेश क्रमांक प.26(55) न्याय/2015 भाग-IV, दिनांक 12.03.2024 एवं पूर्व आदेश क्रमांक प.11(3) न्याय/2002 दिनांक 08.09.2005 के क्रम में राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने पर सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 60 दिवस (06 अवसर) एक ब्लॉक वर्ष में 10 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है, जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है:—

क्र.स.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	(LTC) हेतु समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष (अवसर)	समर्पित अवकाश की अवधि
01.	श्री बरकत अली (RJ01030), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सं.-02, बीकानेर।	10	2022-2024 (प्रथम)	27-10-2024 से 03-11-2024

आज्ञा से

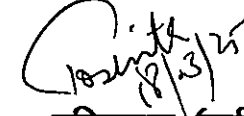

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) / 17 / 2016 /

दिनांक : 19.03.2025

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्री बरकत अली (RJ01030), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सं.-02, बीकानेर।


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
19/03/25